न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 80/2021

धर्मपाल पुत्र शिवलाल जाट, निवासी मेहाड़ा जाटूवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 28/2021 निर्णय दिनांक 16.08.2021

उपस्थितिः—

1 श्री राजेश बागोरिया, एडवोकेट ----- ------ -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------------रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 01.11.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम धर्मपाल मु0नं0 28/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 937 किस्म बंजड़—2 के रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.2600 हैक्टर पर अपीलान्ट को अनाधिकृत रूप से तार—बाड़ कर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किए जाने के आदेश दिए है। प्रकरण में नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर जबाब व दस्तावेज पेश किये गये जिसे पत्रावली में शामिल किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक [illegible].2021 को अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब पर संज्ञान लिए बिना ही सुने [illegible] है। अपीलान्ट का उक्त खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.08 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

नम्बर 937 रकबा 0.26 हैक्टर पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा है। गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2011 व 2012 से 2015 में प्रार्थी के पूर्वज भोपत, नाथाराम व इन्द्राज वल्द खडका जाट का नाम दर्ज है। तथा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2021 में प्रार्थी के पूर्वज नाथाराम व इन्द्राज जाट का नाम दर्ज है। जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा साबित होता है। उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों के द्वारा बनाये गये छप्पर आदि के अवशेष आज भी मौजूद है। उक्त भूमि के खसरा पत्रक सम्वत् 2036 में भी अपीलान्ट के पूर्वज बिन्जा पुत्र खडगा तथा परिवर्तित खसरा निर्धारण वर्ष 2009–10 सम्वत् 2066–67 में अपीलान्ट के भतीजे अनील पुत्र झब्बूराम जाट का नाम दर्ज है तथा गिरदावरी में फसल जोतने व काश्त करने का इन्द्राज है। पटवारी हल्का ने बिना मौका देखे ही अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस का कोई उल्लेख किए बिना ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की जवाबदेही को नजरअंदाज किया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी ने पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मेहाड़ा जाटूवास स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 937 किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.2600 हैक्टर पर अपीलान्ट को अनाधिकृत रूप से तार–बाड़ कर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किए जाने के आदेश दिए है। है। प्रकरण में नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर जबाब व दस्तावेज पेश किये गये जिसे पत्रावली में शामिल किया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2021 को अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब पर संज्ञान लिए बिना ही सुने बगैर आदेश पारित किया है। अपीलान्ट का उक्त खसरा नम्बर 937 रकबा 0.26 हैक्टर पर पूर्वजों के समय से ही कब्जा है। गिरदावरी सम्वत् 2008 से 2011 व 2012 से 2015 में प्रार्थी के पूर्वज भोपत, नाथाराम व इन्द्राज वल्द खडका जाट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.08 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

नाम दर्ज है। तथा गिरदावरी सम्वत् 2015 से 2021 में प्रार्थी के पूर्वज नाथाराम व इन्द्राज जाट का नाम दर्ज है। जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्ट का वर्षो पुराना कब्जा साबित होता है। उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों के द्वारा बनाये गये छप्पर आदि के अवशेष आज भी मौजूद है। उक्त भूमि के खसरा पत्रक सम्वत् 2036 में भी अपीलान्ट के पूर्वज बिन्जा पुत्र खडगा तथा परिवर्तित खसरा निर्धारण वर्ष 2009–10 सम्वत् 2066–67 में अपीलान्ट के भतीजे अनील पुत्र झब्बूराम जाट का नाम दर्ज है तथा गिरदावरी में फसल जोतने व काश्त करने का इन्द्राज है। पटवारी हल्का ने बिना मौका देखे ही अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने महज पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस का कोई उल्लेख किए बिना ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मेहाड़ा जाटूवास की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 937 किस्म बंजड़–2 के रकबा 0.2600 हैक्टर में से 0.2600 हैक्टर पर अपीलान्ट ने अनाधिकृत रूप से तार–बाड़ कर अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेज गिरदावरी से विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा वैध साबित नही होता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैद्य साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 उनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.08 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

सरकार बनाम धर्मपाल मु0नं0 28/2021 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.11.2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.08 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested